मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
ब्लॉक नं.6, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008

क्रमांक : का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/मप्रपाजकंलि/स्था./1123 जबलपुर, दिनांक : 29.03.2011

परिपत्र

म.प्र.पॉ.ज.क.लि. द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक अस/मप्रपाजकंलि/स्था./3676 दिनांक 11.10.2010, परिपत्र क्रमांक अस/ मप्रपाजकंलि/3733 दिनांक 18.10.2010, आदेश क्रमांक अस/ मप्रपाजकंलि/क्रय/3747 दिनांक 18.10.2010 एवं परिपत्र क्रमांक अस/ मप्रपाजकंलि/टेंडर/4405 दिनांक 06.12.2010 के माध्यम से सामग्री क्रय तथा कार्य/सेवा के ठेके आवंटन हेतु निम्नलिखित स्थायी निर्देश जारी किये गए थे :–

(1) सामग्री क्रय एवं कार्य/सेवा के ठेके आवंटन का कार्य स्थानीय स्तर पर गठित क्रय एवं कार्य प्रकोष्ठ (पी.एण्ड डब्ल्यू.सेल)द्वारा ही निष्पादित किया जावे ।

(2) क्रय एवं कार्य प्रकोष्ठ द्वारा, क्रय/कार्य संबंधी निविदा के नोटिस तथा बिड डाक्युमेंट्स से संबंधित दस्तावेज आवश्यक रूप से कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जायेंगे । जिन प्रकरणों में (बिड) के दस्तावेज क्रय करने हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, ऐसी बिड दस्तावेजों सहित डाउन लोड की जाने की स्थिति में होना चाहिए । निविदाकर्त्ता, बिड प्रस्तुत करते समय बिड का निर्धारित शुल्क जमा कर सकता है ।

(3) यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्रय प्रक्रिया शुद्ध एवं पारदर्शी हो जिसके लिए प्रकोष्ठ को सभी सावधानियाँ बरतना चाहिए ।

(4) प्रचलित क्रय प्रक्रिया के अनुसार निविदाकर्ता से प्रस्ताव तीन भागों में, जैसे– बयाना राशि, तकनीकी एवं वाणिज्यिक बिड तथा दरों से संबंधित बिड, बुलाई जाती हैं । प्रस्ताव प्राप्त होने पर सर्वप्रथम बयाना राशि का बिड खोली जाती है जिसके सही पाये जाने पर तकनीकी एवं वाणिज्यिक बिड खोली जाती है तथा उसकी जाँच एवं जहाँ आवश्यक हो, स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेने एवं उसके सही पाये जाने पर दरों से संबंधित बिड खोली जाती है । इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये । जिन निविदाकर्ताओं ने टेंडर डाक्यूमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किये हों उनसे टेंडर फी एक अलग चौथे लिफाफे में मांगी जावे जिसे सबसे पहले खोला जावे ।

(5) निविदा हेतु निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के तत्काल पश्चात् ऐसी निविदाओं को कंपनी की वेबसाईट से हटा लिया जाना चाहिए ।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों के पश्चात् भी यह संज्ञान में आया है, कि ताप विद्युत गृहों में संबंधित अति. मुख्य अभियंताओं तथा अधीक्षण अभियंताओं द्वारा भी निविदाएँ जारी की जा रही हैं, जबकि ये निविदाएँ स्थानीय स्तर पर गठित क्रय एवं कार्य प्रकोष्ठ (पी.एण्ड डब्ल्यू.सेल) द्वारा ही जारी की जाना थीं । वहीं यह भी दृष्टिगत हुआ है कि इन निविदाओं को कंपनी की वेबसाइट पर डाला ही नहीं गया है, जो उपरोक्त स्थायी निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है ।

अतः अनुरोध है कि म.प्र.पा.ज.न.कं.लि. के द्वारा जारी परिपत्रों में दिये गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे तथा तत्संबंध में प्रत्येक माह के अंत में उसकी समीक्षा कर, विभागाध्यक्ष पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)
म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक का.नि.(मा.सं.एवं प्रशा.)/[illegible]/स्था./1124 जबलपुर, दिनांक : 29.03.2011

प्रतिलिपि अग्रेषित--

1. कार्यपालक निदेशक (संचा.संधा.-उत्पा.)/(परि.उत्पा.)/(यांत्रिकी)/(सामग्री प्रबंधन), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर ।
2. मुख्य अभियंता (सिविल)/पी एण्ड डी-पार./(नवानी एवं आयु)/[illegible]/(संचा.संधा.-जलविद्युत), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
3. मुख्य अभियंता (उत्पादन), संजय गांधी ताविगृ/सताविगृ/अताविगृ/श्री सिंगाजी ताविपरि., म.प्र.पा.ज.कं.लि., बिरसिंहपुर/सारनी/चचाई/खण्डवा ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-(उत्पा.-भंडार)/(उत्पादन), टोंस जविगृ, म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर/सिरमौर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर ।
6. अधीक्षण अभियंता (उत्पा.), गांधी सागर/पेंच/राजघाट/[illegible]/बाणसागर-II/III/IV जविगृ/मड़ीखेड़ा जविगृ, म.प्र.पा.ज.कं.लि., गांधी सागर/तोतलाडोह/बरगी नगर/चंदेरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना/शिवपुरी ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सताविगृ/संगांताविगृ/अताविगृ/टोंस जविगृ, म.प्र.पा.ज.कं.लि., सारनी/बिरसिंहपुर/चचाई/सिरमौर ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीओजी एण्ड एचएस), म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर ।

-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव,
कार्या.कार्य.निदे.(मा.सं.एवं प्रशा.)
म.प्र.पा.ज.कं.लि., जबलपुर